

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर  
पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2019/82

1. हरिशचन्द्र पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी- ग्राम खोनागोरिया, गोनेर रोड, मच्छ की ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. रामधन पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा
2. गुल्ला पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा
3. महादेव पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा
4. कानाराम पुत्र हरबक्श जाति मीणा
5. मूलचन्द्र पुत्र हरबक्श जाति मीणा
6. श्योबक्स पुत्र भौरिया जाति मीणा
7. रामप्रताप पुत्र स्व0 पांचू जाति मीणा
8. घनश्याम पुत्र स्व0 पांचू जाति मीणा
9. जयनारायण पुत्र स्व0 पांचू जाति मीणा
10. पूरण पुत्र स्व0 पांचू जाति मीणा
11. हीरा देवी पत्नी घनश्याम जाति मीणा
12. कमला बाई पत्नी रामप्रताप जाति मीणा



13. सोनम पत्नी पूरण जाति मीणा  
समस्त निवासी- ग्राम खोनागोरिया, मच्छ की ढाणी, गोनेर रोड तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

14. शकेशकरण पुत्र धर्मकरण जाति राजपूत  
15. गिरजाकुमारी पत्नी धर्मकरण जाति राजपूत  
समस्त निवासी - ग्राम खोनागोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी- छोटी चौपड रामगंज बाजार, जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

17. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त पता- विडला मन्दिर के सामने जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।



सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

18. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता- तहसील कार्यालय सांगानेर जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती, घोषणा तकासमा,  
सीमांकन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा  
188, 88, 53 ए, राज.काश्त. अधि.  
एवं 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधि०

निर्णय

दिनांक: 23.07.2021

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि हाल कृषि भूमि खाता संख्या 857 के खसरा नंबर 667 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 668 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 669 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नंबर 670 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 671 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, पटवार हल्का खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो वादग्रस्त है, वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 5 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/5, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे वादपत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। हाल कृषि भूमि खाता संख्या 858 के खसरा नंबर 666 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 669/4589 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 672 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 676 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 677 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, पटवार हल्का खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो वादग्रस्त है वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 297/1545, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 99/515, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हिस्सा 99/515, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 594/3090, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 का हिस्सा 594/3090, प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का हिस्सा 4/103 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे वादपत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादपत्र की मद संख्या 1 (ख) में वर्णित वादग्रस्त भूमि का मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है -



सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

गत खसरा नंबर

629 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा  
यानि 1.30 हैक्टेयर -

हाल खसरा नंबर

666 रकबा 0.28 हैक्टेयर  
672 रकबा 0.19 हैक्टेयर  
675 रकबा 0.10 हैक्टेयर  
676 रकबा 0.02 हैक्टेयर  
677 रकबा 0.28 हैक्टेयर  
678 रकबा 0.11 हैक्टेयर  
669/4589 रकबा 0.33 हैक्टेयर

कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर

हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 629 से बना है किन्तु वर्तमान में हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि गत खसरा नंबर 629 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि को जगन्नाथ, हरबक्श, श्योबक्स, पांचू, रामनाथ पुत्रान् भौरया मीणा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1978 को धर्मकरण सिंह पुत्र श्याम करण सिंह से क्य की थी, धर्मकरण सिंह ने खसरा नंबर 629 में से 4 बिस्वा भूमि रास्ते के लिये अपने स्वयं के पास रख ली थी उक्त 4 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 678 का हिस्सा है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 14 धर्मकरणसिंह का पुत्र है प्रतिवादी संख्या 15 धर्मकरण की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का वादग्रस्त भूमि हाल खाता संख्या 858 पर कोई हक अधिकार हिस्सा नहीं बनता है प्रतिवादी संख्या 14 व 15 वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त भी नहीं है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का नाम हाल खाता संख्या 858 में से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के पूर्व हक अधिकारी जगन्नाथ, हरबक्श, श्योबक्स, पांचू, रामनाथ पुत्र भौरया मीणा हाल खाता संख्या 858 के राजस्व रिकॉर्ड के हिस्सा बराबर के हक अधिकारी रह है तदनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है तदनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 (ख) में वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर वादी को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 को हिस्सा 1/5 को खातेदार घोषित किया जावें। हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर, गत खसरा



सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

नंबर 629 से बना है गत खसरा नंबर 629 के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 है मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए किन्तु हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर की खातेदारी बिना किसी सुचना के, बिना किसी अवाप्ति कार्यवाही के, बिना किसी मुआवजे के प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गयी है जो गलत एवं अवैध है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की वादग्रस्त भूमि के लगवा स्थित हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता को भी प्रतिवादी संख्या 17 के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नंबर 629 के नक्शे के मुताबिक हाल खसरा नंबर 679 गत खसरा नंबर 629 का हिस्सा है ऐसी स्थिति में हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 17 की खातेदारी से हटाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को खातेदार घोषित किया जावे। वादी वादग्रस्त भूमि के समुचित उपयोग उपभोग करने हेतु वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा और सीमांकन करवाना चाहता है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 वादग्रस्त भूमि पर विधिवत बंटवारा और सीमांकन नहीं कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार धापा की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 धापा देवी उत्तराधिकारी है, वादग्रस्त भूमि के खातेदार पांचू की मृत्यु हो चुकी है, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 पांचू के उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बेईमानीपूर्वक वादग्रस्त भूमि को विक्रय इत्यादि प्रकार से हस्तान्तरित करना चाहते है और वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहते है जिसका उनको अधिकार नहीं है। दिनांक 02.09.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को रिकॉर्ड दुरुस्त कर विधिवत बंटवारा एवं सीमांकन करने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 द्वारा वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित करने की धमकी दी इस कारण वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है इस प्रकार वादी अपने हक अधिकारो से वंचित हो रहा है और उसे अपूर्णिय क्षति कारित हो रही है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद यहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

क. यह कि वाद पत्र के पैरा नं. 1 (ख) में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से



सहायक फलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का नाम हटाया जावे, व वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादी को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 को हिस्सा 1/5 का खातेदार घोषित किया जावे।

ख. हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर को प्रतिवादी संख्या 17 की खातेदारी से हटाकर, हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर वादी एवं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जावे।

ग. वादपत्र के पैरा नं. एक (क), (ख) में वर्णित वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत तेरह के हिस्से को अलग अलग खाता बनाया जाकर अलग से लगान निर्धारित किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत तेरह के हिस्से की भूमि की अलग से सीमा निर्धारित की जावे।

घ. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 (क), (ख) में वर्णित वादग्रस्त भूमि का इत्यादि प्रकार से हस्तान्तरित न करे, ना ही वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करे, प्रतिवादी संख्या 16 राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे, प्रतिवादी संख्या 18 वादग्रस्त भूमि के विक्रय इत्यादि हस्तान्तरण का पंजीयन न करें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खाता सं. 857, 858 ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर मय नक्शा, प्रमाणित प्रतिलिपि हाल खसरा नंबर 678, 679 ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर की जमाबंदी, प्रमाणित प्रतिलिपि गत खसरा नंबर 627, 629 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.78 ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 627, 628, 629 ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर पेश कि।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की ओर से श्री मदन लाल कुडी

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय



एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की तरफ से श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से श्री उमेश पारिक एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 11 ता 15 व 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादपत्र की मद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वादपत्र की मद नंबर 6 में वर्णित तथ्यों में प्रतिवादी उत्तरदाता के संबंध में वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा व सीमाकन नही करवाने बाबत अंकित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है। मद नंबर 8 में वर्णित प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेईगानिपूर्वक विक्रय इत्यादि प्रकार से हस्तानान्तरण करने तथा वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वादी को वंचित करने के संबंध में कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादपत्र की मद संख्या 9 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने, विधिवत बटवारा व सीमाकन करने से प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा इन्कार करने के संबंध में वर्णित कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 11, 12, 13, 14 व 15 में वर्णित कथन कानूनी है। अतः वादी के वाद पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के वाद पत्र का निस्तारण करने की कृपा करें।



प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की ओर से वादपत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित है कि खसरा नंबर 667 लगायत 671 कुल किता 5 कुल रकबा 227 हैक्टियर ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर में स्थित होना तथा उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 का संयुक्त हिस्सा 1/5 दर्ज होना स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 के हिस्सा 1/5 संयुक्त हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 का हिस्सा 3405/22700 है तथा शेष हिस्सा 1135/22700 प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के पिता स्व0 पांचू पुत्र भौरया का है। वादपत्र की उक्त मद में वादी ने वादग्रस्त भूमि संबोधित किया है वह प्रक्रियात्मक है। वादपत्र के मद संख्या (ख) में वर्णित कथन खसरा नंबर 666, 669/4589, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैक्टियर भूमि ग्राम खोनागोरियान में स्थित होना स्वीकार है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी का हिस्सा 297,1545, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 99/515, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हिस्सा 99/515, प्रतिवादी

सहायक क्लर्क  
जयपुर शहर द्वितीय

संख्या 6 का हिस्सा 594/3090, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 का हिस्सा 594/3090, प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का हिस्सा 4/103 जिसे वादपत्र में वादग्रस्त संबोधित किया जाना प्रकियात्मक है। वादपत्र की मद नंबर 2 रेकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है। वादपत्र की मद नंबर 3 में वर्णित कथन गत खसरा नंबर 629 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार धर्मकरण सिंह पुत्र श्यामकरण से 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि जगन्नाथ, हरबक्श, श्योबक्श, पांचू(मिन प्रतिवादीगण के पिता) रामनाथ पुत्र भौरया मीणा ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1978 को क्रय की है, शेष भूमि 04 बिस्वा भूमि हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर का भाग है जिसमें भू-प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित कर दी गई तथा गलत रूप से मौके एवं नक्शे के विपरीत जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित कर दिया गया जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि में से 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकीन भूमि प्रतिवादी संख्या 14 व 15 धर्मकरण सिंह की पत्नि व पुत्र के नाम अंकित किया जाना आवश्यक है तथा वादी एवं प्रतिवादी के साथ जो खसरा नंबर 666, 669/4589, 672, 675, 676, 677 कुल किता 06 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर संयुक्त खाते में है तथा खसरा नंबर 678 में से 0.08 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए। इस प्रकार यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के हकपूर्वाधिकारी क्रमशः जगन्नाथ, हरबक्श, श्योबक्श, पांचू रामनाथ पुत्रान भौरया मीणा द्वारा क्रयशुदा आराजी साबिक खसरा नंबर 669 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा में से 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसका हैक्टेयर स्केल में रकबा 1.31 हैक्टेयर बनता है जिसे भू-प्रबंध विभाग द्वारा 1.20 हैक्टेयर किया गया है जो साबिक के मुकाबले 0.11 हैक्टेयर कम है। रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 हिस्से अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि डिलीट की जाकर खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकीन रास्ता प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम दर्ज की जाकर शेष रकबा 0.08 हैक्टेयर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती की जाकर वादी को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 03 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को हिस्सा 1/5, तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 को हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार



सहायक फिल्टर  
जयपुर शहर विभाग

घोषित किया जावें। वादपत्र की मद नंबर 4 व 5 में वर्णित कथन स्वीकार हैं। वादी ने वादपत्र की मद संख्या 06 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहसीर, तकमील किया गया है गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी ने गिन प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये जाने बाबत कभी नहीं कहा, वादी एवं गिन प्रतिवादीगण तथा अन्य प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य पैत्रिक भूमियों जिनकी आपसी सहमति के आधार पर ग्राम कें पंच पटेलो एवं रिश्तेदारान की उपस्थिति में लिखावट के द्वारा अलग-अलग विभाजन पक्षकारान् के मध्य हो चुका है उक्त लिखावट से वादी एवं अन्य प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 6 मुकरने व लिखावट के विपरित जाकर कार्य करने से गिन प्रतिवादीगण ने वादी तथा उक्त प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 06 के विरुद्ध वाद संख्या 23/2018 उनवानी रामप्रताप बनाम मूलचन्द वगै. पेश किया जो माननीय न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है, इसलिये स्पष्ट है कि वादी द्वारा गिन प्रतिवादीगण से बंटवारा तथा सीमांकन करवाये जाने का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। मद नंबर 7 स्वीकार है। मद नंबर 8 में वर्णित कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। गिन प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण करने का कोई इरादा नहीं है बल्कि वादी स्वयं जो प्रोपर्टी व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति है जो बेईमानी एवं बदनियती से वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि को हडपना चाहता है तथा वादी स्वयं ही येन केन प्रकारेण भूमि वादग्रस्त को विक्रय करने पर आमादा है। मद नंबर 9 में दिनांक 02.09.2019 की घटना वादी ने गलत, मनघडन्त, काल्पनिक, बेयनियादी अंकित की है वादी को उक्त दिनांक को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा के साथ-साथ भू-राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि की सीमांकन किये जाने बाबत अभिवचन अंकित कर अनुतोष चाहा है। धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सीमा संबंधी विवादो का निस्तारण करने का अधिकार लैण्ड रिकॉर्ड ऑफीसर को प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड ऑफीसर की शक्तियां संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को दी गई है इसलिये उपरोक्त उनवानी वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चो खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।



सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त के जवाब का अवसर बंद किया गया।

वाद में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है :-

1. आया वाद पत्र की मद संख्या 1 (ख) में वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 का हिस्सा 1/5 का खातेदार घोषित किया जावे?

.... जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 17 के नाम से हटाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हेक्टेयर का खातेदार घोषित किया जावे?

....जिम्मे वादी

3. आया वादपत्र की मद संख्या 1 (क), 1(ख) में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर तकासमा करके अलग से खाता बनाकर अलग-अलग लगान निर्धारित किया जावे?

....जिम्मे वादी

4. आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

....जिम्मे वादी

5. आया-जयपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस दिये बिना वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है?

....जिम्मे प्रतिवादी

6. आया भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक श्रीमान् न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?

....जिम्मे प्रतिवादी

7. आया वादग्रस्त भूमि का पूर्व में विभाजन होने से वादी का वाद पत्र पोषणीय नहीं है?

....जिम्मे प्रतिवादी

8. अन्य अनुतोष!

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी0डब्ल्यू-1 हरिशचन्द्र पुत्र रामनाथ जाति मीणा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते जिरह नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 से 10 व 17 द्वारा जिरह की गई। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई जिसमें अंकित है कि वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय में निम्न दस्तावेज पेश किये गये -

हाल जमाबंदी वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 857 प्रदर्श-1

हाल जमाबंदी खाता संख्या 858 प्रदर्श-2

राजस्व नक्शा प्रदर्श-3

हाल जमाबंदी खाता संख्या 1130 प्रदर्श-4

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26/07/1978 प्रदर्श-5

सलग्न नक्शा प्रदर्श-6

वादग्रस्त भूमि का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-7

प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

खाता संख्या 858 प्रदर्श 2 का मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:-

गत खसरा नंबर	हाल खसरा नंबर
629 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा यानि 1.30 हैक्टेयर	666 रकबा 0.28 हैक्टेयर
	672 रकबा 0.19 हैक्टेयर
	675 रकबा 0.10 हैक्टेयर
	676 रकबा 0.02 हैक्टेयर
	677 रकबा 0.28 हैक्टेयर
	678 रकबा 0.11 हैक्टेयर
	669/4589 रकबा 0.33 हैक्टेयर

कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर

हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 629 से बना है किन्तु वर्तमान में हाल खसरा नंबर 678 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। वादी द्वारा तनकी संख्या 1 लगायत 4 को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य साबित कर दिया है, तनकी संख्या 5 बाबत प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर



सहायक  
जयपुर शहर न्यायालय

विकास प्राधिकरण द्वारा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधिक नोटिस बाबत कोई एतराज नहीं उठाया गया इस प्रकार प्रतिवादी तनकी संख्या 5 को साबित नहीं कर पाये है। वादग्रस्त भूमि बाबत अन्य दिगर् न्यायालय में विभाजन बाबत कोई वाद विचाराधीन नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत कोई मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है, इस प्रकार प्रतिवादीगण तनकी संख्या 6 व 7 को साबित नहीं कर पाये है, श्रीमान् न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की मौखिक बहस सुनी गई।

उपभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व लिखित बहस अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 857 के खसरा नंबर 667, 668, 679, 670, 671, कुल किता 5 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर के खातेदार वादी, व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 है जो प्रदर्श एक से स्पष्ट है। व भूमि खाता संख्या 858 के खसरा नंबर 666, 669/4589, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर के खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 है जो प्रदर्श 2 से स्पष्ट है। प्रदर्श 7 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 678 साबिक खसरा नंबर 829 से बने है। प्रदर्श 4 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 678 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता अप्रार्थी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 ता 10 के जवाब से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की के हिस्से की भूमि 04 बिस्वा जो उनके पूर्वाधिकारी धर्मकरण ने रास्ते हेतु रखी थी। वह भूमि अब रास्ते के रूप में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम होकर खसरा नंबर 678 में सम्मिलित हो चुकी है और वर्तमान में रास्ते हेतु उपयोग में आ रही है चूंकि धर्मकरण ने 26.07.78 को रजिस्ट्री करते समय 4 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु रखी थी और वर्तमान में उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित होकर आमजन में रास्ते हेतु उपयोग आ रही है जिसकी पुष्टि अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 10 ने अपने जवाब दावे में की है व वादी ने प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य से की है। ऐसे में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 666, 669/4589, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की हिस्से

सहायक जज  
जयपुर शहर द्वितीय

की भूमि का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 666 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 669/4589 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 672 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 676 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 677 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, पटवार हल्का खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में प्रतिवादी संख्या 14 राकेशकरण पुत्र धर्मकरण प्रतिवादी संख्या 15 गिरजाकुमारी पत्नी धर्मकरण जाति मीना का नाम हटाया जाकर वादी को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 को हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 667 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 668 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 669 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नंबर 670 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 671 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 666 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 669/4589 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 672 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 676 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 677 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, पटवार हल्का खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग-अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। इस आशय की तहसीलदार सांगानेर को तहरीर व प्राथमिक डिक्री जारी हो।

वादीगण की अनुतोष की हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर को प्रतिवादी संख्या 17 की खातेदारी से हटाकर, हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर वादी एवं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त के क्रम



सहायक  
जयपुर शहर द्वितीय

में लेख है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात 679 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मु० रास्ता प्रतिवादी संख्या 17 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। और वादीगण वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम उक्त रास्ते की जमीन को अपने नाम करवाकर अपने ही खातेदारी की भूमि दुसरी जगह रास्ते हेतु देना चाहते है। उक्त अनुतोष इस न्यायालय द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। अतः वादीगण का वादपत्र में चाहा गया अनुतोष "ख" खारिज किया जाता है। वादीगण को उक्त अनुतोष हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में रास्ते के समझौते हेतु गठित कमेटी में नियमानुसार आवेदन करना उचित होगा। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमंका/भू0अ0/कुर्रेजात/2021/4502 दिनांक 06.08.2021 को प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है:-

कुर्रेजात अनुसार विभाजन प्रस्ताव

पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	भू-राजस्व
1	हरीश चन्द पुत्र रामनाथ मीना सा.देह	670	0.3134	
		670 मिन	0.0628	
		671	0.0338	
		672	0.1800	
		675	0.0900	
	योग	5	0.6800	
2	शयोबक्स पुत्र भौरया मीना सा. देह खातेदार	669	0.1900	
		669/458	0.0600	
		670 मिन	0.1100	
		672 मिन	0.0100	
		675 मिन	0.0100	
		676	0.0200	
	योग	3	0.6800	
3	रामधन, गुल्ला, महादेव पि. जगन्नाथ मीना सा.देह	666	0.2629	
		667	0.2041	
		668	0.2130	
	योग	3	0.6800	
4	कानाराम, मूलचंद पि० हरबक्ष	670 मिन	0.0538	



सहायक जयपुर शहर द्वितीय

	मीना सा.देह	671 मिन	0.6262	
	योग	2	0.6800	
5	रामप्रताप, घनश्याम,	666 मि.	0.0171	
	जयनारायण, पूरण पि० पांचू	667 मि.	0.0259	
	हीरादेवी पत्नी घनश्याम	668 मि.	0.0270	
	कमलाबाई पत्नी रामप्रताप,	669 मि.	0.3400	
	सोनम पत्नी पूरण जाति मीणा सा०देह	669/4589 मि.	0.2700	
	योग	5	0.6800	
6	शामलाती भूमि- गै०मु० रास्ता	670 मिन	0.0600	
	हरीश चंद पुत्र रामनाथ हिस्सा	671 मिन्न	0.0100	
	1/5, श्योबक्स पुत्र भौरया हि०			
	1/5, रामघन, गुल्ला, महादेव			
	पुत्र जगन्नाथ हि० 1/5,			
	कानाराम, मूलचंद पि० हरबक्स			
	हि० 1/5, रामप्रताप, घनश्याम,			
	जयनारायण, पूरण पि० पांचू			
	हीरा देवी पत्नी घनश्याम,			
	कमला बाई पत्नी रामप्रताप,			
	सोनम पत्नी पूरण मीना सा०देह			
	खातेदार			
	योग	2	0.0700	

प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की ओर से प्रार्थना पत्र आपति कुर्रजात रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें अंकित है कि—

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.07.2021 को पारित कर तहसीलदार सांगानेर को विवादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग-अलग लगान व खाता कायम कर कुर्रजात रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किय गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रेषित रिपोर्ट राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के नियमों के विपरीत होने से कुर्रजात रिपोर्ट निरस्तनीय है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं नही जाकर अपने अधीनस्थ हल्का पटवारी से कुर्रजात रिपोर्ट तैयार

सहायक जिला अधिकारी  
जयपुर शहर द्वितीय

कराया है जो कि राजस्थान टीनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के जोत का विभाजन नियम 21 के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नियम 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर कुर्रैजात प्रस्ताव, स्वयं बनायेगा। हस्तागत प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.08.2021 को कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार किये गये है, तत्पश्चात दिनांक 06.08.2021 को तहसीलदार तहसील सांगानेर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई कुर्रैजात प्रस्ताव को प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की अनुपस्थिति में वादी से मिलीभगत करते हुए बिना सूचना दिये तैयार की गई, जो कि प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय तथा विभाजन नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। कुर्रैजात प्रस्ताव में अंकित खसरा नंबर 670मिन रकबा 0.06 हैक्टेयर, 671मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर शामलाती भूमि गैर मुमकीन रास्ता जो कि वादी से मिलीभगत करते हुये वादी को दिये गये खसरा नंबर 670, 670मिन व 671मिन में से दर्शा कर शामलाती भूमि रास्ता दर्शाया गया है, जबकि समस्त पक्षकारान् को अपने जाने के लिये पहले से ही रास्ता उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि में मिन प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान नक्शा विवादग्रस्त भूमि एवं खसरा नंबर 678 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित है। उक्त नक्शे की प्रति आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इसी प्रकार विवादग्रस्त भूमि एवं आस-पास की भूमि का साविक नक्शा सीट की प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है, जिसमें रास्ते का अंकन है। अतः कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील सांगानेर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कुर्रैजात रिपोर्ट को खारिज फरमायी जाकर पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में तहसीलदार तहसील सांगानेर से मंगवाई जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 व प्रार्थना पत्र बाबत् तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित कुर्रैजात प्रस्ताव पर आपत्ति बाबत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 में अंकित है कि प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण में कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने व प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही में भाग लिये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु पेश किया गया जिसमें अंकित है कि उपरोक्त उनवानी वाद में मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 12.01.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, तत्पश्चात प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2021 को प्राथमिक डिक्री की एवं निर्णय पारित की गई, उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना



सहायक  
जयपुर शहर द्वितीय


में प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति होने के कारण मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को कुर्रजात प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने व प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही में विधि अनुसार भाग लेने की सीमा तक निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। इस प्रकार न्यायहित में मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को उपरोक्त वर्णित सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है। एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने से वादी को कोई प्रिज्युडिस कॉज नहीं होगा तथा मिन प्रतिवादीगण के न्यायिक हितों की रक्षा हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में पारित एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 12.01.2021 को कुर्रजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने व प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही में भाग लिये जाने की अनुमति दी जाने की सीमा तक, एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य अनुतोष बहक मिन प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय उचित समझे

प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रजात में अंकित है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.07.2021 को पारित कर तहसीलदार सांगानेर को विवादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग-अलग लगान व खाता कायम कर कुर्रजात रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसील सांगानेर द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रेषित रिपोर्ट राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के नियमों के विपरित होने से कुर्रजात रिपोर्ट निरस्तनीय है। तहसीलदार तहसील सांगानेर द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं नही जाकर अपने अधीनस्थ हल्का पटवारी, गिरदावर से कुर्रजात रिपोर्ट तैयार करवायी है जो कि राजस्थान टीनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के जोत का विभाजन नियम 21 के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। नियम 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर कुर्रजात प्रस्ताव, नक्शा स्वयं बनायेगा, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2017(1) पेज नंबर 689 लार्जर बेंच में प्रतिपादित किया है। तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक: /राम/स्था/प-76/2010/6739 दिनांक 06.08.2021 में भी यह अंकित किया है कि तहसीलदार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन के प्रकरणों में प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरांत संबंधित तहसीलदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्व मण्डल के बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुसार स्वयं तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

तैयार किया जाना आवश्यक है हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी, गिरदावर द्वारा दिनांक 05.08.2021 को कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार किये गये है, जिस पर मिन प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये तत्पश्चात दिनांक 06.08.2021 को तहसीलदार तहसील सांगानेर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.07.2021 की पालना में हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा तैयार की गई कुर्रैजात प्रस्ताव को वादी से मिलीभगत करते हुए प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय तथा विभाजन नियमों के विपरीत तैयार की है जो निरस्तनीय है। कुर्रैजात प्रस्ताव में अंकित खसरा नंबर 670मिन रकबा 0.06 हैक्टेयर, 671मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर शामिल होती भूमि गैर मुमकीन रास्ता जो कि वादी से मिलीभगत करते हुये वादी को दिये गये खसरा नंबर 670, 670मिन व 671मिन में से दर्शा कर शामिल होती भूमि रास्ता दर्शाया गया है, जबकि समस्त पक्षकारान् को आने जाने के लिये पहले से ही रास्ता उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि में प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान नक्शा विवादग्रस्त भूमि एवं खसरा नंबर 678 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित है। उक्त नक्शे की प्रति आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। इसी प्रकार विवादग्रस्त भूमि एवं आस-पास की भूमि का साबिक नक्शा सीट की प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की है, जिसमें रास्ते का अंकन है। कुर्रैजात प्रस्ताव में वादी को प्राप्त भूमि खसरा नंबर 670, 670मिन, 671 में से हाकर दर्शित रास्ता जो कि 0.07 हैक्टेयर शामिल होती भूमि गैर मुमकीन रास्ता अंकित किया है उक्त रास्ते बाबत् कुर्रैजात प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय मिन प्रतिवादीगण द्वारा हल्का पटवारी व गिरदावर तथा वादी को आपत्ति की तब उनके द्वारा बताया गया कि उक्त रास्ता वादी के हिस्से की भूमि में से ही है, उपरोक्त व्यक्तियों के उक्त कथन पर विश्वास कर मिन प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर किये गये, चूंकि मिन प्रतिवादीगण ग्रामीण कार्तकार पेशा व्यक्ति है, जिन्हे अन्य प्रतिवादीगण द्वारा उक्त 0.07 हैक्टेयर भूमि जो कि वादी के हिस्से की भूमि में से दर्शित रास्ते को शामिल होती भूमि में दर्शाया गया है, के बारे में बताने पर वास्तविकता की जानकारी हुई, जबकि सभी सहकारकारान् को कुर्रैजात प्रस्ताव में दिये हिस्से अनुसार आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, जिसका विस्तृत विवरण मद संख्या 5 में एवं जवाब के साथ संलग्न नक्शा में है। इस कारण से 0.07 हैक्टेयर भूमि किसी भी अवस्था में शामिल होती भूमि गैर मुमकीन रास्ता में रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील सांगानेर द्वारा



सहायक जलकृषक  
जयपुर नगर क्षेत्रीय

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कुर्रैजात रिपोर्ट को खारिज फरमायी जाकर पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट को खारिज फरमायी जाकर पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में तहसीलदार तहसील सांगानेर से मंगवाई जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वादीगण की ओर से आदेश 9 नियम 7 सपठित आदेश 151 सी०पी०सी का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा तारीख पेशी दिनांक 12.01.2021 को न्यायालय में अनुपस्थित होने का अच्छा कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया यानी की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 12.01.2021 को लापरवाही पूर्वक जानबूझकर अनुपस्थित रहे इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो न्यायसंगत है, इस प्रकार एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य नहीं है, इस प्रकार एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7 लगायत 10 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति कुर्रैजात का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित है कि - कुर्रैजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियमों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित होने के संबंध में वर्णित समस्त कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है, कुर्रैजात रिपोर्ट नियमानुसार है। कुर्रैजात रिपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में नियमानुसार बनाई गयी है जिस पर सहमति स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के भी हस्ताक्षर हैं, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के सगे भ्राता हैं, कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार की उपस्थिति में विधिवत प्रकार से तैयार की गयी है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र आपत्ति कुर्रैजात पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रैजात रिपोर्ट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अतः न्यायित में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 स्वीकार किया जाकर उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाकर कुर्रैजात आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

बहस प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण ने


सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

आपत्ति कि की कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के नियमों की पालना नहीं की गई है एवं कुर्रेजात प्रस्ताव में वादी को प्राप्त भूमि खसरा नंबर 670, 670मिन, 671 में से हाकर दर्शित रास्ता जो कि 0.07 हैक्टेयर शामिल भूमि गैर मुमकीन रास्ता अंकित किया है जबकि उक्त रास्ते की प्रतिवादीगण को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात पर जाने हेतु उभयपक्षकारान् के पास पहले से रास्ता मौजूद है।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 7, 8, 11, 12 रामनाथ को छोड़कर समस्त पक्षकारान् के हस्ताक्षर अंकित है तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। जिससे प्रतीत है कि प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार की गई है ऐसे में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 7 लगायत 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट खारित

किया जाता है व तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी एवम् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

## अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम  
जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)  
हरिशचन्द्र बनाम रामधन वगै.

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती, घोषणा तकासमा,  
सीमांकन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा  
188, 88, 53 ए. राज.काश्त. अधि.  
एवं 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधि०

मुकद्दमा नम्बर - दावा/2019/82

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विष्णु कुमार गोयल-1 व हाजिरी  
वकील वादी मिनजानिब मुद्ई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी  
का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर  
को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादी एवम्  
प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। तहसीलदार  
सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निज ५ मुबलिंग ५ बाबत ५  
\_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकद्दमे में मय सूद बशरह \_\_\_\_\_ फीसदी  
\_\_\_\_\_ सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक \_\_\_\_\_ का  
अदा करें।

बसबत में दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2022 को जारी की गई।

मुहर



दस्ताखत \_\_\_\_\_  
ओहदा सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गयाहान		
खर्चा गयाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

\_\_\_\_\_  
सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय